

ग्रामीण सेवा शिविर



'ग्रामीण सेवा शिविर -2025'

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत
(पीठासीन अधिकारी ग्रामीण सेवा शिविर/कैम्प कोर्ट -डिवाली)

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का डिवाली अ निरीक्षक किवरली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार देलदर की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसारेण में ग्राम डिवाली भू अ. निरीक्षक वृत्त किवरली तहसील देलदर जिला सिरोही की जमावन्दी सम्वत 2074-77 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जानी है)
2	<u>डिवाली</u>	<u>485</u>	<u>कॉन्लार्ड नम्बे में</u> <u>उर्फ खररा का</u> <u>658/3</u> <u>खररा का</u> <u>658/1</u>	<u>कॉन्लार्ड नम्बे में</u> <u>खररा का</u> <u>658/1</u> <u>खररा का</u> <u>658/3</u>

(डॉ. अंशु प्रिया)

आई.ए.एस.

पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

दिनांक 19.09.2025

08.10.2025

क्रमांक / ग्रा.से.शि. / कोर्ट / 2025 / 194

प्रतिलिपि-

1. तहसीलदार देलदर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से अवगत करावे।
2. प्रार्थी श्री नरेश चंद्र सिंह पुत्र गंगाधर सिंह शर्मा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
ग्रामीण सेवा शिविर-2025
उपखण्ड अधिकारी

एवं पदेन सहायक कलेक्टर आवूपर्वत

